मंजूरी पत्र को निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्वेस्ट लाइफ साइसेंस प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील

मंजूरी पत्र को निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्वेस्ट लाइफ साइसेंस प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, की अपील पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की उनतीसवीं (29वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 19 नवंबर, 2008 को अपराह्न 5.00 बजे कमरा नंबर 162, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है

2. मैसर्स क्वेस्ट लाइफ साइसेंस प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, को क्लीनिकल जैव विश्लेषण सांख्यिकी के सृजन तथा डाटा प्रबंधन के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए 24 नवंबर, 2003 को मंजूरी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 32 जुलाई, 2004 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। यूनिट द्वारा डीटीए में अपनी सेवाओं की बिक्री पर सूचना प्राप्त करने पर विकास आयुक्त ने एफटीडीआर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही पूरी हो जाने पर यूनिट पर दंड लगाया गया। जब मामले को यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष लाया गया तो मंजूरी पत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, आदेश दिनांक 23 मई 2008 के माध्यम से मंजूरी पत्र निरस्त किया गया। यूनिट ने निरसन के इस आदेश के विरुद्ध अनुमोदन बोर्ड में अपील की थी तथा 1 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के दौरान अनुमोदन बोर्ड के एजेंडा में अपील शामिल थी। इस बीच यूनिट ने रिट याचिका संख्या 17878 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई से भी संपर्क किया और यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित आदेशों पर रोक के लिए अंतरिम आदेश प्राप्त किया। माननीय उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2008 को मामले को खारिज कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड को 4 सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ता दाखिल अपील का निस्तारण करने का निदेश दिया। तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा गया।

3. यूनिट के प्रतिनिधियों ने विस्तार से अपना पक्ष रखा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कंपनी ने पोत परिवहन पत्र या साफ्टेक्स फार्म दाखिल किए बगैर सेवाओं का निर्यात करने, निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बगैर डीटीए में बिक्री करने में कुछ अनियमितताएं भी हैं। तथापि, विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन कंपनी के मंजूरी पत्र के निरसन को खारिज करने का निर्णय लिया :

(i) अतीत में की गई अनियमितताओं के लिए कंपनी पर 5 लाख रुपए का दंड लगाया जा सकता है।

(ii) यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र में केवल ऐसी सेवाओं की बिक्री करेगी जो यूनिट को जारी किए गए मंजूरी पत्र में निर्यात के लिए अनुमत हैं।

(iii) विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान की प्राप्ति पर यूनिट विदेशी पक्ष के साथ संविदा की प्रति के साथ विकास आयुक्त को सूचना प्रस्तुत करेगी।

(iv) टेस्टिंग एंड ट्रायल का काम पूरा हो जाने पर विदेशी पक्ष को बीजक भेजा जाएगा तथा उसकी प्रति विकास आयुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए यदि परिणामों के निर्यात के लिए कोई पोत परिवहन पत्र दाखिल नहीं किया जाता है।

(v) परिणामों के असफल होने की स्थिति में विकास आयुक्त को सूचना प्रस्तुत की जाएगी जिसमें टेस्ट की उस विशिष्ट श्रृंखला के लिए विदेशी पक्ष द्वारा किए गए भुगतान का उल्लेख होगा तथा विदेशी पक्ष को प्रस्तुत किए गए संचार की प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(vi) ऐसे क्लियरेंस के लिए किसी अन्य दस्तावेज के निर्धारित होने तक घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अनुमोदित सेवाओं का प्रत्येक क्लियरेंस तभी किया जाएगा जब उपयुक्त पक्ष द्वारा लदान पत्र दाखिल किया जाएगा, भले ही सेवा सीमा शुल्क अधिनियम के तहत ड्यूटी योग्य मद न हो।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

***